

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण भोपाल

क्रमांक 1124 /क्षे.प.अ./


भोपाल, दिनांक 2/6/16


माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के समक्ष दायर याचिका क्रमांक 7073/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 06.05.2016 के पालन में स्थायी परमिट प्रतिहस्ताक्षर के प्रकरण की सुनवाई दिनांक 10.06.2016 को दोपहर 12.00 बजे सम्भागीय उप परिवहन आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण भोपाल संभाग भोपाल के कक्ष मे किया जाना नियत है। प्रकरण के सारंश का विवरण निम्नानुसार है :-

श्री मेहमूद खान	स्थायी परमिट क्रमांक एससीपी 52/15 मार्ग भोपाल से सारणी व्हाया ओबेदुल्लागंज, बुदनी, होशंगाबाद, इटारसी, भौरा, शाहपुर, बरेठा, घोडाडोगरी, पाथाखेडा एवं वापसी पर एक एकल फेरा प्रतिदिन का प्रतिहस्ताक्षर किये जाने बाबत	MP09 FA302 4	52+2	2010	भोपाल	ओबेदुल्ला गज	बुदनी	होशंगाबाद	इटारसी	भौरा	शाहपुर
					09.30	10.25	11.10	11.45	12.50	14.20	14.45
					18.05	10.30	11.15	11.55	12.55	14.25	14.50
						16.45	16.05	15.45	14.45	13.15	12.45
						16.40	16.00	15.35	14.30	13.05	15.40
					बरेठा	घोडाडोगरी	पाथाखेडा	सारणी			
					15.10	15.30	16.05	16.30			
					15.15	15.40	16.10				
					12.20	11.55	11.25	11.00			
					12.15	11.50	11.20				

पृ. क्रमांक

01. संभागीय उप परिवहन आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. श्री राजेश शर्मा प्रभारी, स्मार्टकार्ड शाखा की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


SECRETARY
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण
 भोपाल, दिनांक


 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण
 भोपाल

राज्यी परमिट सु-मवलि डिपार्टमेंट

10.06.16 की सूचना